भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3574

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

एनसीएलटी के समक्ष मामलों का लंबित होना

3574. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष वर्ष 2017 से दर्ज किए गए, निस्तारित किए गए और लंबित मामलों की कुल संख्या, वर्ष-वार कितनी है;

(ख) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत वर्तमान में निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) आईबीसी के तहत वर्ष 2017 से लंबित मामलों में शामिल संकटग्रस्त परिसंपत्तियों, जिसमें निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से लंबित दिवाला कार्यवाही में फंसी परिसंपत्तियों का मूल्य भी शामिल है, का मूल्य वर्ष-वार कितना है;

(घ) क्या सरकार ने एनसीएलटी के समक्ष दिवाला समाधान कार्यवाही में देरी के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में हुई गिरावट की सीमा का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित मामलों को कम करने, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को रोकने तथा एनसीएलटी के समक्ष मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष 2017 से शुरू किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की कुल संख्या का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष (वि.व.)	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित मामले	वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च न्यायालय से स्थानांतरण पर प्राप्त	वित्तीय वर्ष के दौरान नई फाइलिंग	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान	वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक लंबित मामले
2017-2018	6,311	340	14,786	11,010	10,427
2018-2019	10,427	137	19,256	13,177	16,643
2019-2020	16,643	128	19,691	14,930	21,532
2020-2021	21,532	13	8,787	9,678	20,654
2021-2022	20,654	65	9,212	8,619	21,312
2022-2023	21,312	194	8,906	8,988	21,424
2023-2024	21,424	240	7,947	9,818	19,793
2024-2025	19,793	253	9,065	14,150	14,961
2025-2026	14,961	84	8,419	8,651	14,813

(ख): दिनांक 31 मार्च 2026 तक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत 1885 कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (सीआईआरपी) चल रही थीं। इनमें से 1367 सीआईआरपी ने 330 दिनों की सांविधिक समयसीमा को पार कर लिया है।

(ग): आईबीसी के अंतर्गत चल रहे मामलों में शामिल संकटग्रस्त आस्तियों के मूल्य के आंकडे नहीं रखे जाते हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) केवल बंद किए गए सीआईआरपी मामलों के ऐसे डेटा रखता है।

(घ): आईबीबीआई ने समाधान और लेनदारों की वसूली में लगने वाले समय के प्रभाव की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया था। अध्ययन से संकेत मिलता है कि समाधान की समयसीमा बढ़ने के साथ ही वसूली में गिरावट आती है।

(ङ): लंबित मामलों को कम करने और अन्य बातों के साथ-साथ रिक्तियों को भरने, ई-कोर्ट और हाइब्रिड कोर्ट परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठी, अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान आदि सहित लंबित मामलों को कम करने और मामलों के समय पर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। सरकार ने आईबीसी में सात विधायी संशोधन किए हैं और आईबीबीआई ने अपनी स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक बदलाव पेश किए हैं, ताकि दिवाला समाधान ढांचे को मजबूत किया जा सके और प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाई जा सके।
